रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 297] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 5, 1975/श्रावण 14, 1897
No. 297] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 5, 1975/SRAVANA 14, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th August 1975

S.O. 421(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G, and Section 25, of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Cement Control Order, 1967, namely:—

1. (1) This Order may be called the Cement Control (Second Amendment) Order, 1975.
 (2) It shall come into force at once.
2. In clause 8 of the Cement Control Order, 1967,—

 (i) for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

 "Provided that in the case of packed cement, there shall be added to the price referred to in this clause such charges as may be fixed by the Central Government in respect of packing in jute bags or in any other containers, and different charges may be fixed for the use of new and serviceable second-hand jute bags and for the use of different containers in such packing :

 Provided further that in the case of packing of cement in jute bags the producer shall not use serviceable second-hand jute bags in excess of the limit specified by the Central Government from time to time";

 (ii) in the existing second proviso, for the words "Provided further that" the words "Provided also that" shall be substituted.

[No. 1-16/74-Cem.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1975

का० आ० 421 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 छ और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम सीमेंट नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1975 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा ।

2. सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 में खण्ड 8 में :—

(1) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखे जायेंगे, अर्थात् :—

"परन्तु पैक की गई सीमेंट की दशा में, इस खण्ड में निर्दिष्ट कीमत में ऐसे प्रभार जोड़े जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा पटसन की बोरियों में या किन्हीं अन्य आधानों में पैकिंग की बाबत नियत किए जाएं और नई और काम आने वाली पुरानी पटसन की बोरियों और ऐसी पैकिंग के विभिन्न आधानों के उपयोग के लिए विभिन्न प्रभार नियत किए जा सकेंगे :

परन्तु यह और कि पटसन की बोरियों में सीमेंट की पैकिंग की दशा में, उत्पादक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट सीमा के आधिक्य में, काम आने वाली पुरानी सीमेंट बोरियों का उपयोग नहीं करेगा :

(2) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में "परन्तु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परन्तु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 1—16/74—सीमेंट]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975